बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: **अधिसूचना** ::-

संचिका सं0-स0क0निग0-255/2023-4957/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय के पत्रांक-6770 दिनांक-11.12.2023 द्वारा श्री रंजीत कुमार, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अरेराज सम्प्रति हरसिद्धि (पूर्वी चम्पारण) के विरूद्ध प्रपत्र-'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है। जिसमें श्री रंजीत कुमार, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अरेराज सम्प्रति हरसिद्धि (पूर्वी चम्पारण) द्वारा श्रीमती पल्लवी राज, पति- मुन्ना कुमार, ग्राम- सिसवा, वार्ड-14, प्रखण्ड- अरेराज, पूर्वी चम्पारण से प्राप्त परिवाद के विरूद्ध अपील वाद की सुनवाई में परिवादी द्वारा बार-बार स्मारित करने के बावजूद तत्परता नहीं दिखाते हुए आदेश पारित नहीं किये जाने का आरोप गठित किया गया है।

निदेशक, आई०सी०डी०एस० द्वारा गठित आरोप की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के तहत जॉच में पायी गयी अनियमितताओं के आलोक में श्री रंजीत कुमार, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अरेराज सम्प्रति हरसिद्धि (पूर्वी चम्पारण) के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-3931 दिनांक-20.08.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के प्रावधानों के तहत इनसे लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मॉग किये जाने पर इनके पत्रांक-284 दिनांक-09.09.2024 के माध्यम से लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया।

आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि वाद संख्या-02/2021 को आदेश पर रखने के बाद मुख्यालय एवं पदभार में बने रहते हुए चयनित सेविका के प्रमाण पत्र के फर्जी होने की जानकारी होने के बाद भी सेविका के मानदेय भुगतान बंद नहीं करना एवं परियोजना से संबंधित अन्य कार्य करते रहना परंतु इतना महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं करना श्री कुमार की कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही का परिचायक है। अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत आरोपित पदाधिकारी को चेतावनी की सजा देने का निर्णय लिया गया है।

अत: उपरोक्त के आलोक में श्री रंजीत कुमार, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अरेराज सम्प्रति हरसिद्धि (पूर्वी चम्पारण) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा- संशोधित) के नियम-14 के स्पष्टीकरण-3 में उल्लेखित **"चेतावनी"** संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

23/6/25

(योगेश कुमार सागर)

संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-255/2023- 4957 पटना-15 दिनांक :- 24.06.2025

ई-मेल / निबंधित

प्रतिलिपि :- निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (स्था०), समाज कल्याण विभाग/संबंधित कोषागार/विभागीय आई0 टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्री रंजीत कुमार, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अरेराज सम्प्रति हरसिद्धि (पूर्वी चम्पारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/6/25

संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।